कार्यालय : नगर पंचायत चनपटिया

पत्रांक 662

दिनांक 21/11/14

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
न० प० चनपटिया

सेवा में

उप सचिव
न० वि० एवं आवास वि०
पटना, बिहार

विषय :- अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 24/2008-09 एवं 692/2010-11 के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त संबंध में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 24/2008-09 एवं 692/2010-11 के आपत्तियों के निराकरण करवा कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

21/11

कार्यपालक पदाधिकारी
न० प० चनपटिया

आडिट रिपोर्ट बर्ष 2001–2006 तक, रिपोर्ट नं0 24/2008–9

प्रश्न	उतर
(5) 1972–73 से 1995 से 2000–1 तक का अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण नही किया गया है।	चूकि नगर पंचायत का कार्यालय के भवन अपना नही होने के कारण कार्यालय अनेको जगहो पर कार्यरत रहा है। जिस कारण अभिलेखो की प्राप्ति नही हो रही है। साथ ही यह भी कहना है कि समयानुकूल लेखापाल सेवा निवृत हो चुके है। अतः यह बतलाना संभव नही हो पा रहा है कि आप्तियो का निराकरण किया गया अथवा नही।
(7) आंतरिक अंकेक्षण Internal Audit	तत्कालीक कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर आंतरिक अंकेक्षण अपने स्तर से किया जाता रहा है। इस संबध मे सूचित करना है कि इधर आन्तरीक अकेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित की जाने वाला है।
(9) बिना वजट पारित किये 295,14 लाख का खर्च किया गया है, जो अनाधिकृत है।	वजट पारित होने पर ही कोई खर्च किया गया है। उक्त राशि के सम्बध मे सूचित करना है कि कोई भी खर्च नगर पंचायत के बैठको में पारित प्रस्ताव के आलोक मे ही किये गये है, जो वार्ड पार्षदो द्वारा पारित किये जाते रहे है।

प्रश्न	उतर
(10) नगर पंचायत चनपटिया के खातो के संबध में।	नगर पंचायत चनपटिया का P.L.A एकाउन्ट कोषागार मे खोली गई है। सरकार द्वारा राशि कोषागार के माध्यम से ही भेजा जाता था। इधर सरकारी निर्देशानुसार स्थानीय बैको मे खाता खोला गया है, ताकि R.T.G.S से सीधे राशि का स्थान्तत्रण हो सके।
(11) हेड कैशबुक का संधारण।	इस संबध मे सुचित करना है कि नगर पंचायत चनपटिया को कोई प्रशिक्षित एकाउन्टेन्ट उपलब्ध नही होने के कारण ऐसी त्रृटि हो जाती रही है। जो समय समय पर सुधार किया जाता है।
(12) चेक निर्गत करने के संबध में।	इस संबध में कहना है कि चेक के काउन्टर फ्वोइल पर नाम पता एवं राशि भुल बस छुट गई होगी, परन्तु अभी इस तरह का भुल नही हो रहा है। निर्गत चेक की राशि एवं प्राप्त कर्ता का नाम चेक काउन्टर फ्वोइल पर दर्ज है।
(13) कर्मचारियों का वेतन भुगतान।	कोषागार से प्राप्त वेतन का ड्राफ्ट को बैक मे जमा कर पुनः निकाषी करना हुआ है जो भुल बस हुआ था। अब ऐसा नही किया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया

प्रश्न	उतर
(14) लोन रजिस्टर नही प्रस्तुत किया गया है, 6517 लाख लोन कटौती संमाजोजन स्पष्ट नही हो पा रहा है।	उस समय का अभिलेख प्राप्त नही हो पा रहा है। पूर्व के कर्मी सेवा निवृत हो चूके है अतः इस संबधी जानकारी उपलब्ध नही हो पा रही है।
(15) 41.26 लाख रुपया ग्रान्ट की राशि खर्च एवं सधारण।	उक्त राशि खर्च किये जा चुके है। ग्रान्ट रजिस्टर उपलब्ध नही है।
(16) 20.38 लाख रुपये का कार्यान्वयन।	उक्त राशि से योजनओं को पूर्ण करा दी गई है। जिसका उपयोगिता सरकार को दी जा चूकि है तथा पुनः इधर भी उपयोगिता भेजा जा रहा है।
(18) नगर पंचायत की वार्षिक लेखा जोखा का संधारण नही एवं राजस्व की प्राप्ति अंसतोष जनक है।	इस संबध मे सूचित करना है कि राजस्व की बढोतरी हेतू आवश्यक कारवाई की गई है तथा अंकेक्षण दल द्धारा दिये गये सुझाव अनुसार वार्षिक लेखा जोखा का संधारण किया जा रहा है।
(19) समयानुसार कर पुनरीक्षण नही किया जाना।	अकेक्षण दल के आपति प्राप्त होने पर कर पुनरीक्षण का कार्य बर्ष 2003–2004 मे की गई है, एवं नियमानुसार किया जाता रहा है।

नगर पंचायत, चनपटिया

प्रश्न	उतर
(20) राजस्व की राशि का बैक मे जमा नही करना।	नगर पंचायत मे विभिन्न कार्य हेतु वसुली गई राशि से कराया जाता रहा है एवं कार्योपरान्त उक्त राशि का समायोजन पश्चात पुनः बैक खाते मे जमा करा दी गई है।
(21) वसुली राशि को सीधे खर्च करना है।	श्री रामचन्द्र प्रसाद प्रधान सहायक द्वारा 60000 के लगभग राशि खर्च की गई राशि का विचार उन्होने तत्कालिन पदाधिकारी से पारित कराया था तथा ऐसी प्रकिया नगर पंचायत चनपटिया मे अबतक किया जाता है।
(22) शिक्षाशेष एवं स्वास्थ्य शेष की राशि सरकारी खाते में जमा नही होना।	नगर पंचायत चनपटिया की आर्थिक स्थिति सुदृढ नही रहने के कारण उक्त राशि कर्मचारियो के वेतन में खर्च कर ली गई है। राशि उपलब्ध होने पर सरकारी खाते में राशि जमा की जायेगी।
(23) सरकारी भवनो के कर की वसुली।	इस संबध में संबधित पदाधिकारीयो से पत्राचार किया जाता रहा है। पुनः इस संबधो में पत्राचार किया जाएगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया

प्रश्न	उतर
(24) स्टॉक पंजी में H रसीद मात्र 4 (चार) पाया जाना।	नगर पंचायत द्वारा 5000 H रसिद छापने हेतु धनराज प्रेस को आदेशित था, चूकि रसीद के अभाव में वसुली कार्य वंचित था तथा प्रेस में पुर्ण नही था। आवश्यकता को देखते हुए 4 H रसिद प्राप्त हुआ था, शेष 46 H रसीद बाद में प्राप्त हुआ जो स्टॉक पंजी में दर्ज है।
(26) डाक की राशि कम जमा करना।	श्री रामचन्द्र प्रसाद द्वारा अंकेक्षण आप्ति पश्चात राशि जमा करा दी गई है।
(27) टीन टीकट।	कार्यालय स्थारण के कारण शेष टीन टीकर अप्राप्त है। जो नही दिखाया जा सका।
(28) दैनिक सफाई मजदुरो का भुगतान 6,68685	नगर पंचायत में सफाई कर्मियो के कारण वोर्ड की अनुमति से दैनिक मजदुरो पर सफाई कर्मी को रखा गया था, जिसमें उक्त राशि व्यय हुई।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जमालपुर

प्रश्न	उतर
(29) यात्रा भता।	यात्रा भता विपत्र पर तत्कालिन कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी भुगतान आदेश से ही भुगतान हुआ था। पुनः आदेश का कोई औचित्य नही था, यात्रा सरकार कार्यवश ही पदाधिकारी के मौखिक/लिखित आदेश से किया गया था।
(30) सेलटैक्स रॉयल्टी जमा नही करना।	इस संबध में सूचित करना है कि अंकेक्षण समय तक यह राशि जमा नही किया गया था बाद में कटौती राशि संबधित विभाग को जमा करा दी गई है
(31) स्टेशनरी पर 560 रुपया खर्च	भूलवश स्टेशनरी का स्टॉक इन्ट्री नही किया गया था। अकेक्षण आपति के पश्चात सभी समाग्रीयों का स्टॉक इन्ट्री किया जा रहा है।
(32) अग्रीम राशि का वसुली।	राशि वसुल कर ली गई है।
(33) वालमिकी अम्बेडकर योजनां।	चूकि यह योजना नगर पंचायत मे लागु नही हो सका। अतः लाभाविन्तो की राशि वापस कर दी गई।

कार्यपालक पदाधिकारी

प्रश्न	उतर
(34) P.F. राशि कटौती पूर्णरुप से जमा नही करना।	अकेक्षण आपति पश्चात P.F की पुर्ण राशि संबधित कर्मचारी द्धारा जमा करा दी गई है।
(35) P.F राशि का सुद कर्मचारियो को नही मिलना।	संबधित कर्मचारियो को ही P.F राशि उनके आवश्यकता होन पर दी जाती थी, एवं अगले माह वेतन पर वे रुपया वापस करतें। ऐसी परिस्थिती में समय पर P.F राशि जमा नही होता था।
(36) ट्रक्टर मरमति कार्य में M.V.I का सर्टिफिकेट।	चुकि नगर पंचायत में सफाई कार्य एक अहम भुमिका है। ट्रेक्टर खराब होने पर बोर्ड द्धारा पारित प्रस्ताव के आलोक में कार्य कराया जाता रहा है।
(37) परिसम्पति पंजी का संधारण।	नगर पंचायत में इस से संबधित पंजी का सधारण किया गया था, परन्तु कुछ त्रृटिया रह गयी थी, जो पुनः अकेक्षण आपूर्ति के पश्चात सुधार किया गया है।
(38) पावती रसीद 2,71192=00	सभी स्वीपरो से पावती पर L.T.I प्राप्त कर ली गई थी।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बनमनखी

(39) अभिश्रव राशि 5289891=00	अगले अंकेक्षण मे अभिश्रव प्रस्तुत कर दिया गया था।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया

(18)

आडिट रिपोर्ट 692 / ~~10.11.2007–08.09.2010~~

692/~~09-10~~ 10-11

प्रश्न	उतर
(1) होल्डीग मद मे 968 रुपया कम जमा किया गया हैः–	उक्त राशि– श्री कन्हैया द्वारा जमा करा दी गई है। जो अंकेक्षक को दिखा दिया गया है।
(2) 40056=00 रुपये विलम्ब शुल्क वसुलीः–	विलम्ब शुल्क वसुली हेतु सरकारी पत्र विलंब से प्राप्त हुयी थी, जिसके कारण समयानुसार वसुली नही हो पायी थी, परन्तु पिछले बकाया वसुली के साथ उक्त राशि नगर पंचायत चनपटिया द्वारा वसुली की जाती रही है।
(3) योजना पंजी की साधारण मे त्रृटियाः–	अंकेक्षण पश्चात अंकेक्षण दल के दिशा निर्देश के तहत योजनापंजी का संधारण अलग–अलग मद् का किया जा रहा है।
(4) रोकड वही के सधारण मे त्रृटियॉः–	अंकेक्षणदल के सुझाव अनुसार करवाई करने का निर्देश प्रधान सहायक एवं लेखापाल को दी गई है।
(5) बस पार्किग की बन्दोवस्ती की बकाया राशि–1,03 लाख रुपएः–	मो01,03(एक लाख तीन लाखः–हजार) रुपये की वसुली हेतू निलाम पत्र बकायादार दायर की गई है। जिसमें को वाडी वांरट न्यायलय द्वारा निर्गत है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया

(6) शिक्षा अधिकार एवं स्वास्थ अधिकार का राशि जमा नही करने के संबध में:–

नगर पंचायत चनपटिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नही रहने के कारण उक्त राशि कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य कार्यो मे व्यय हुये है। उक्त राशि, जमा करने हेतु कारवाई की जायेगी।

(7) स्वीकृत दल के विरुद्ध कार्यरत दल:–

रिक्त पदो पर समयानुसार नियुक्ति अनुकम्पा के अधार पर की गई है। अनुबंध पर भी कर्मचारी कार्यरत है।

(8) आदेशपाल (1) की अनियमित सेवा:–

श्री लालबाबु यादव आदेशपाल के पिता स्वः परशुराम राउत सफाई जमदार के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु कार्यकाल में हुयी थी, चूकि लालबाबु सफाई जमदार के पद की योग्यता नही थी, ऐसी परिस्थिति मे अनुकम्पा के आधार पर इन्हे वोर्ड द्वारा आदेशपाल के पद पर नियुक्ति किया गया है।

(9) अनुबंध पर रखे गये कर्मचारियों 2,22,256 रुपये का अधिक भुगतान:–

जानकारी के अभाव मे ऐसी भुल हो गयी थी अनुबंध कर्मचारियों के समय सीमा को बढानें हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त की जाती रही है तथा अकेक्षण दल द्वारा दिये गये निर्देश के तहत अगले भुगतान की जाती रही है।

नगर पंचायत, चनपटिया

(10) 12वें वित आयोग योजना मे प्राप्त राशि उपयोगः— सरकार के दिशा निर्देश के तहत ठोस अपशिस्टो पर 50 प्रतिशत प्रतिराशि खर्च किया गया है।

(11) चापाकलः— इस योजना मे प्राप्त राशि के अवशेष राशि 25666=00 रुपये चापाकल मे मरमती इत्यादि यानि रखरखाव पर खर्च की गई है। रुपया वापस करने का प्रश्न नही उठता है।

(12) पथों के निर्माण/जीर्णोधार प्राप्त आवंटन से योजनएं पूर्ण कर राशि उपयोगिता सरकार को भेज दी गई है।

(13) पिछडा क्षेत्र अनुदान निधिः— प्राप्त आवंटन से योजनाएं ली गई एवं राशि व्यय उन योजनाओ पर की गई है उपयोगिता प्रमाणपत्र संबधित विभाग/जिला को दे दी गई है।

(14) नागरिक सुविधाः— नागरिक सुविधा की कुल राशि 20,35,000=00 रुपये से छठ घाट का निमार्ण कराया गया उक्त योजना मे बोर्ड द्धारा पारित प्रस्ताव द्धारा उसी योजना पर अन्य कार्य कराया गया है। अतः बचत राशि शुन्य रही है। वापस राशि करने का प्रश्न नही उठता है।

(15) नाली निमार्णः— उक्त राशि निदेशित योजनाओ पर 17,94,000=00 खर्च की गई है तथा योजना पूर्ण हो चुकी है, उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेज दी गई है।

2/11

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया

8/11

(16) निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण नही होने पर विलम्ब दण्ड की वसुलीः–	कार्यादेश मे कार्य समाप्ति की अवधि समाप्त हाने पर कार्य पूर्ण कराये गये है, कार्य संवेदको को कई प्रकार के कार्यो मे अड्चन के कारण योजना पूर्ण होने मे समय लगा। अतः विलम्बत दंड उनके विपत्र से काटी नही गई। इसके बाद इस विषय पर ध्यान रखा जा रहा है।
(17) प्रत्साहन मदः–	श्री रामचन्द्र प्रसाद प्रधान सहायक द्धारा विभागीय स्तर से कराया गया है, कार्यस्थान पर विवाद के कारण समय अधिक लगा एवं समाग्रीयो के ढुलाई एवं कीमत मे बढोतरी हुयी थी।
(18) फर्जी उपस्थितिः–	उक्त समय श्री जहॉगीर अली अमीन जिन्हे कैशियर का पद प्राप्त था, द्धारा इस तरह के गलत कार्य किये गये तथा जिसके लिए उन्हे पुनः सुधार करने का हिदायत दी गई थी तथा जिन कर्मचारियो का भुगतान बाकि हो उन्हे भुगतान करने की हिदायत दी गई है।
(19) असमायोजित अग्रीमः–	श्री रामचन्द्र प्रसाद, प्रधान सहायक द्धारा लिये गये अग्रीम का समायोजन कराया गया है तथा श्री जहॉगीर अली एवं ध्रव प्रसाद द्धारा लिए अग्रीम का सभायोजन करा लिया गया है।
(20) सामान्य टिप्पणीः–	के आलोक में प्रभाव अनुसार कारवाई की जा रही है।
(21) कर्मचारियों कि वसुलनीय राशिः–	संबधित कर्मचारियों को नोटिस की गई है तथा वसुली की कारवाई की गई है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया

177

(22) भाउचर परिशष्टः— सभी भाउचर नगर पंचायत में उपलब्ध है।

(23) कर्मचारियों के वेतन के विरुध दिये गये अग्रीम उनके वेतन से समायोजित की जा चुकी है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया